

## खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की पहल एवं उपलब्धियाँ

### चर्चा में क्यों?

आम लोगों तक सस्ता खाद्यान्न पहुँचाने के लिये सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। यह कार्य केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की संयुक्त ज़िम्मेदारी से किया जाता है। भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्यान्न वितरण के संदर्भ में विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। केंद्र सरकार सस्ता खाद्यान्न उपलब्ध कराती है और उसका वितरण स्थानीय स्तर पर राज्य सरकारों द्वारा आवंटित उचित दर की दुकानों (राशन की दुकान) के द्वारा किया जाता है।

- संसद के शीतकालीन सत्र में वर्ष 2017 के दौरान खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की मुख्य गतिविधियों के विषय में संक्षिप्त बयौरा प्रस्तुत किया गया, जिसके कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं-

### राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत गरीबों को 2 रुपए प्रति किलो गेहूँ और 3 रुपए प्रति किलो चावल देने की व्यवस्था की गई है। इस कानून के तहत लाभार्थियों को उनके लिये निर्धारित खाद्यान्न हर हाल में मिले, इसके लिये खाद्यान्न की आपूर्ति होने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा भत्ते के भुगतान के नियम को जनवरी 2015 में लागू किया गया।
- समाज के अति-निर्धन वर्ग के हर परिवार को हर महीने अंत्योदय अन्न योजना में इस कानून के तहत सब्सिडी दरों पर यानी तीन रुपए, दो रुपए, एक रुपए प्रति किलो चावल, गेहूँ और मोटा अनाज मिल रहा है।
- पूरे देश में यह कानून लागू होने के बाद 81.34 करोड़ लोगों को 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गेहूँ और 3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चावल दिया जा रहा है।
- जुलाई 2016 तक वैध एनएफएसए के तहत निर्दिष्ट खाद्यान्नों की कीमत - चावल 3 रुपए प्रति किग्रा, गेहूँ 2 रुपए प्रति किग्रा और मोटा अनाज 1 रुपए प्रति किग्रा को जून 2018 तक जारी रखा गया है।
- वर्ष 2017-18 (13-12-2017 तक) के दौरान खाद्यान्नों के अंतर-राज्य आवागमन पर किये गए व्यय और उचित दर दुकानों के डीलरों के मार्जिन को पूरा करने के लिये केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को केंद्रीय सहायता के रूप में 2959.22 करोड़ रुपए जारी किये गए। एनएफएसए के अंतर्गत इस तरह की व्यवस्था पहली बार की गई है।

### टीपीडीएस (Targeted Public Distribution System –TPDS) परचालन का एंड-टू-एंड कंप्यूटरीकरण

- राशन कार्ड/लाभार्थी रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के परिणामस्वरूप, वर्ष 2013 से 2017 (नवंबर 2017 तक) तक आधार लकिये के कारण जाली कार्डों का समापन, हस्तांतरण/पलायन/मृत्यु, लाभार्थी की आर्थिक स्थिति में बदलाव और एनएफएसए के कार्यान्वयन के दौरान, कुल 2.75 करोड़ राशन कार्ड राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों द्वारा नष्ट/रद्द किये जा चुके हैं।
- इसके आधार पर सरकार करीब 17,500 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की खाद्य सब्सिडी को उचित व्यक्तितक पहुँचाने का लक्ष्य हासिल करने में सफल रही है।
- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण और उसमें पारदर्शिता लाने के लिये विभाग टीपीडीएस परचालन के एंड-टू-एंड कंप्यूटरीकरण योजना को करीब 884 करोड़ रुपए की लागत से राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों के साथ लागत साझा करने के आधार पर कार्यान्वयन कर रहा है।
- यह योजना राशन कार्डों एवं लाभार्थियों के रिकॉर्ड एवं आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का कंप्यूटरीकरण तथा पारदर्शिता पोर्टल और शकियत नपिटान प्रणाली के गठन आदि की सुविधा प्रदान करती है।
- फर्जी/अयोग्य लाभार्थियों की पहचान करने और उन्हें नरिस्त करने तथा उचित व्यक्तितक खाद्यान्न सब्सिडी पहुँचाने की व्यवस्था को सक्षम बनाने के लिये राज्य/केंद्र-शासित प्रदेशों द्वारा लाभार्थियों की आधार संख्या को उनके राशन-कार्डों के साथ जोड़ने का कार्य किया जा रहा है।
- वर्तमान में कुल राशन-कार्ड के 81.35 फीसदी कार्डों को आधार कार्ड के साथ जोड़ा जा चुका है।
- योजना के एक अंग के रूप में, खाद्यान्न आवंटन के लिये उचित दर दुकानों पर कुल बकिरी के लेन-देन का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखने और प्रमाणीकरण के लिये इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ईपीओएस) उपकरण को लगाया जा रहा है।
- अभी तक, 23 राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों की कुल 5.27 लाख उचित दर दुकानों में से 2.83 लाख एफपीएस पर ईपीओएस उपकरणों को लगाया जा चुका है।

### क्या है DBT?

- मूल रूप से यह योजना उस धन का दुरुपयोग रोकने के लिये है, जसिे कसिी भी सरकारी योजना के लाभार्थी तक पहुँचने से पहले ही बचौलियि तथल अनूय भ्रष्टलचलरी हडडने की जूगत में रहते हैं ।
- प्रतूयकष ललभ हसूतलंतरण से जुडी सबसे बडी वशिषतल यह है कडिसमें कसिी बचौलियि कल कोई कलम नहीं है और यह योजना सरकार और ललभलरूथीों के बीच सीधे चललई जल रही है ।
- इस योजना के तहत केंद्र सरकार ललभलरूथीों को वभिनिन योजनाओं के तहत सबसडिी कल भूगतलन सीधे उनके बैंक खलते में कर देती है । ललभलरूथीों को भूगतलन उनके आधलर कलरूड के ज़रयि कयि जल रहल है ।

### डीबीटी के हाइब्रडि मॉडल कल शुभलरंभ

- झलरखंड के रलंची ज़लिे के नगरी ब्लॉक में अक्टूबर 2017 से “पहल” योजना की तरज़ पर डीबीटी की एक पलडलल योजना की शुरुआत की गई ।
- इस योजना के तहत, यूगूय एनएफएसए ललभलरूथीों को महीने की शुरुआत में अगूरमि धनरलश के रूप में सबसडिी रलश कल भूगतलन सीधे उनके बैंक खलतों में कयि जलतल है ।
- सबसडिी की रलश बैंक खलते में आने पर ललभलरूथी अपने अधकलर के अनुसार पॉइंट ऑफ सेल उपकरण पर ऑथेंटकेशन के बलद नलममलतूर की ललगत पर उचतल दर दुकलन से खलदयलनून की खरीद कर सकतल है ।
- केन्द्रीय इश्यू दर ललभलरूथी दवलरल दी जलती है । यह मॉडल एमएसपी दरों पर कसलनलं से खरीद की प्रकूरयि को ललगलतलर समरूथन देतल है ।

### रलशन कलरूडों की अंतःरलज्य पोरूटेबललिटिी:

- पीडीएस ललभलरूथीों को अपने अधकृत अनलज को रलज्य में ईपीओएस उपकरण वलली कसिी भी उचतल दर दुकलन से लेने में सकषम बनलने की सुवधल आंधूर प्रदेश, हरयिणल, झलरखंड, कूरनलटक, छतूतीसगढ (750 एफपीएस) और तेलंगलनल (2273 एफपीएस) में शुरुू की जल चुकी है ।

### पीडीएस कल एकिकृत प्रबंधन (आईएम-पीडीएस)

- पीडीएस परचललन की रलषूरीय सूतर पर पोरूटेबललिटिी, केन्द्रीय डलडल भंडलर और केन्द्रीय नगिरलनी प्रणलली को कलरूयलनूवतल करने की दशिा में सलरूवजनकल वतलरण प्रणलली नेटवर्क सूथलपतल करने के लयि वतलत वरूष 2018-19 और 2019-20 में एक नई केन्द्रीय सूतर की योजना को कलरूयलनूवयन कयि जलने के लयि मजूरी दी जल चुकी है ।

### ईपीओएस लेन-देन पोरूटल कल शुभलरंभ:

- ललभलरूथीों को सबसडिी आधलरतल खलदयलनून वतलरतल करने के लयि ईपीओएस के ज़रयि इलेक्टूरनकल लेन-देन प्रदरूशतल करने की दशिा में “अननवतलरण पोरूटल ([www.annavitran.nic.in](http://www.annavitran.nic.in))” ललगू कयि गयल ।
- यह पोरूटल ज़ललल सूतर पर आवंततल और वतलरतल खलदयलनून के अलवल ललभलरूथीों के आधलर ऑथेंटकेशन की वूहद तसूवीर भी दरूशलतल है ।

### कसलनलं को समरूथन

- 2016-17 केएमएस के दूरलन 381.07 ललख मीटरकल टन धलन (चलवल के मलमले में) की रकलरूड मलतूरल खरीदी गई । 2015-16 केएमएस के दूरलन यह 342.18 मीटरकल टन थी ।
- आरएमएस 2017-18 के दूरलन 308.24 ललख मीटरकल टन गेहूँ की खरीद की गई, जोकल पछिले पलँच वरूषों के दूरलन सबसे अधकल है । 2016-17 में यह 229.61 ललख मीटरकल टन थी ।

### खलदय प्रबंधन में सुधलर

- केएमएस 2017-18 से खरीदे गए धलन की पैकेजल के लयि उपयोग शुलूक पर सभी रलज्यों और एफसीआई से परलमरूश के सलथ नए दशलनरूदेश ललगू कयि गए हैं ।
- ऐसल अनुमलन है कडिउपरूयूक्त योजना से प्रतूयेक सीज़न में करीब 600 करोडू रुपए तक बचलल जल सकतल है ।
- एफसीआई दवलरल एक वरूष में ललगभग 40 मललियन टन खलदयलनून को देश भर से अपने गेदलमों तक ललल जलतल है । खलदयलनून की आवलजलही रेल, रोड, समुदूर, तट और नदी वूयवसूथल के मलधयम से की जलती है ।
- वरूष 2016-17 में 13 कंटेनर आधलरतल खलदयलनून की आवलजलही हुई, जसलसे करीब 44 ललख रुपए के मललभलडे की बचत हुई ।
- 2017-18 के दूरलन एफसीआई ने 58 कंटेनर रेकूस (15.10.2017 तक) को सूथलनलंतरतल कयि है, जसलसे ललगभग 159 ललख रुपए के मलल भलडे की बचत हुई है ।

### भंडलरण वकलस और वनलियलमक प्रलधकलरण (डबलूडीआरए)

- डबलूडीआरए के सलथ भंडलरण के लयि पंजीकरण प्रकूरयि को सरल कयि गयल है ।
- नए नयलम डबलूडीआरए के सलथ भंडलरण के तूर पर जूडने वललों की संखूयल में बढूतरी को प्रूतूसलहतल करूंगे ।
- यह यूगूय भंडलरण रसीद (एनडबलूडीआर) प्रणलली को मजूबूत करेगल । इस वरूष के दूरलन अब तक करीब 90.35 करोडू ःरूण की सुवधल एनडबलूडीआर के तहत ली जल चुकी है ।
- भंडलरण की पंजीकरण प्रकूरयि में बदलवल ललने और पेपर आधलरतल एनडबलूडीआर की जगह ईएनडबलूडीआर जलरी करने के लयि इलेक्टूरनकल बलतचीत आधलरतल भंडलरण रसीद (ईएनडबलूडीआर) प्रणलली और डबलूडीआरए पोरूटल शुरुू कयि गयल । यह अधकल वशि्वसनीय वतलतीय उपकरण सलबतल होगल ।

## चीनी क्षेत्र

- पछिले पाँच सालों के दौरान चीनी स्टॉक की नरितर अधकितता के कारण 15-04-2015 तक 2014-15 के लयि गन्ना मूल्य बकाया संपूरण भारत के स्तर पर 21837 करोड़ रुपए पर पहुँच गया ।
- गन्ने की कीमतों के बकाए को नपिटाने के क्रम में केन्द्र सरकार ने 4305 करोड़ रुपए का सॉफ्ट ऋण मुहैया कराना, कच्ची चीनी नरियात प्रोत्साहन योजना के जरयि 425 करोड़ रुपए की वत्तीय सहायता प्रदान करना, 539 करोड़ रुपए की उत्पादन सब्सडी देना और 2015-16 सीज़न के लयि कसिनों को गन्ने की फसल की बकाया राशिका समय पर भुगतान आदिकई महत्त्वपूरण कदम उठाए ।
- उन उपायों के परणामस्वरूप 2014-15 सीज़न के लयि कसिनों के बकाया का 99.33 फीसदी भुगतान और 2015-16 के लयि कसिनों के बकाया का 99.77 (उचति और लाभकारी मूल्य आधार पर) फीसदी भुगतान कयिा जा चुका है ।
- चीनी सीज़न 2016-17 के संबंध में उचति और लाभकारी मूल्य आधार पर गन्ने का करीब 99.47 फीसदी बकाया भी नपिटया जा चुका है ।
- चीनी पर आयात शुल्क बढ़ाने और चुनदि क्षेत्रों में ही चीनी आयात की अनुमति देने सहति वभिन्नि नीतगित हस्तक्षेपों के परणामस्वरूप देश भर में इस वर्ष गन्ने का कम उत्पादन होने के बावजूद चीनी की कीमतें स्थरि बनी रही ।
- इन नीतयिों ने न केवल स्थरि कीमतें सुनश्चिति की, बल्कि घरेलू उत्पादन में भी बाधा नहीं डाली । इसके साथ ही इन नीतयिों ने समय पर कसिन के बकाया का भुगतान करने में सरकारों को सक्षम बनाया ।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/ministry-of-food-processing-industries>

